भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2593
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2024

दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा टैरिफ दरों में वृद्धि

2593. श्री राजकुमार रोतः
श्री गौरव गोगोईः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को टैरिफ में नवीनतम वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा उच्च लाभ के बावजूद असंगत लाभ कमाने की संभावना के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्राई उदासीन बना रहेगा या टैरिफ की समीक्षा करेगा तथा विनियमों के अनुसार अधिकतम सीमा तय करेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं पर टैरिफ वृद्धि के प्रभाव के आकलन के लिए ट्राई द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ट्राई विनियमों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा पूरी की जाने वाली रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) ट्राई किस तरीके से किसी सेवाप्रदाता द्वारा वसूले जाने वाले प्रीडेटरी प्राइस का निर्धारण करता है तथा इस संबंध में वह किस तरीके से दूरसंचार बाजार को विनियमित करता है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) जी, हां। हाल ही में 03 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं नामतः मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल), मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) और मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा विनियामक

टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रभार और लीज्ड सर्किट जैसी सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ फोर्बियरेंस के अधीन है। ग्रामीण अनबैंक्ड फीचर फोन प्रयोक्ताओं के बीच वित्तीय समावेशन आदि को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी सेवाओं के लिए 'शून्य' टैरिफ निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए जाने के लिए सेवा प्रदाता को दूरसंचार सेवाओं के किसी भी नए टैरिफ अथवा इसमें किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना लागू किए जाने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राधिकरण को देनी होगी।

(च) मामला न्यायाधीन है और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
